

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—1476 / 2003

संस्थित दिनांक—25.07.2003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी डोरा, आरक्षी केन्द्र—रूपझर

जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

मेलनसिंह पिता फागूलाल उइके, उम्र 42 वर्ष, जाति गोंड,

निवासी—जल्दीदाण्ड, थाना बैहर,

तह. बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—16 / 02 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—39/51 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक—08.01.2003 को सुबह 08:30 बजे मुकाम फंडकी का तालाब, चौकी डोरा, आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत वन्य प्राणी हिरण की खोपड़ी, सींग, बिना अनुमति के अपने कब्जे में रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि पुलिस चौकी डोरा में पदस्थ आरक्षक तिलकसिंह ने दिनांक 08.07.03 को सुबह 08.30 बजे जंगल सर्च करते समय ग्राम फंडकी से रास्ते में एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए सामने से आ रहा था, जो पुलिस पार्टी को देखकर भागा, जिसे ललकारते हुए दौड़ कर पकड़ा। मौके पर आरक्षक सेवकराम, मानिकराम, एवं विजय सिंह थे। आरोपी से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम मेलनसिंह निवासी जल्दीदाण्ड बताया था। उसके कब्जे में रखे झोला को चैक करने पर उसमें हिरण की खोपड़ी सींग लगी तथा दो सींग में बाल लाल—काले लगे और एक सींग तीन फन वाला था। आरोपी से उक्त सींग रखने के संबंध में अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। उसने बताया कि पिछले साल यह हिरण—चीतल का शिकार कर मांस खाकर खोपड़ी जंगल में रख दिया था, जिसे आज लेकर आना बताया था। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—0 / 2003 अंतर्गत धारा—9 / 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना रूपझर द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—170 / 2003, धारा—9 / 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी

नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं जप्तशुदा सींग का परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-39/51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में अपराध अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होना एवं प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश न किया जाना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-08.01.2003 को सुबह 08:30 बजे मुकाम फंडकी का तालाब, चौकी डोरा, आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत वन्य प्राणी हिरण की खोपड़ी, सींग, बिना अनुमति के अपने कब्जे में रखा ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— तिलकसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना दिनांक 08.07.03 को चौकी डोरा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। घटना के समय वह चौकी प्रभारी ज्ञानसिंह ठाकुर के साथ जंगल सर्चिंग के लिए गया था, उस दौरान एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए हुए दिखाई दिया, जो उन्हें देखकर भागने लगा। उस व्यक्ति को पकड़कर पूछने पर उसने अपना नाम मेलनसिंह बताया था, जो हाजिर न्यायालय आरोपी है। आरोपी का झोला देखने पर उसके अंदर वन्य प्राणी हिरण की खोपड़ी, सींग मिले थे, जो थाना प्रभारी द्वारा गवाहों की उपस्थिति में जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। चौकी प्रभारी द्वारा देहाती नालसी कायम की गई थी, उसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी को उसके घर से पकड़े थे, जबकि साक्षी ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि आरोपी रास्ते में जाते हुए मिला था। साक्षी ने पुलिस पार्टी का सदस्य होते हुए उसके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार्यवाही का विभागीय साक्षी के रूप में समर्थन किया है तथा प्राथमिकी दर्ज किये जाने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

6— जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-08.07.03 को पुलिस चौकी डोरा में प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जंगल सर्चिंग में आरक्षक जयवन्त, सेवकराम व तिलकसिंह को हमराह ले गया था। सर्चिंग के दौरान आरक्षक जयवन्त ने आरोपी मेलनसिंह को पकड़कर उसके समक्ष पेश किया था तथा उसके पास से झोले में बार्किंग डियर के दो सींग लगी खोपड़ी, चीतल का तीन फन वाला सींग पाने पर उसकी अनुज्ञा पत्र न होने के कारण उक्त सींगों को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार

किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त सामग्री का जप्ती नमूना प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 लेख की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त के आधार पर असल कायमी की गई थी। उसने अपराध की सूचना न्यायालय को दी थी, जिसकी पावती प्रदर्श पी-9 है। आरोपी से जप्त सामग्री का परीक्षण वन्य परिक्षेत्र अधिकारी लौगूर से कराकर रिपोर्ट प्राप्त की थी। उसने जप्त सामग्री पर लगी चिट प्रकरण में संलग्न किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने साक्षी जयवन्तलाल, मानिकराम, विजय कुमार व सेवकराम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया।

7— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि परीक्षण हेतु भेजा गया पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 एवं देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 एक ही समय नहीं की जा सकती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर सान्हा लेकर नहीं गया था। साक्षी ने देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 में सान्हा क्रमांक-208 अंकित किया है, जिससे यह प्रकट होता है कि देहाती नालसी चौकी में आने पर सान्हा में इन्द्राज के पश्चात् तैयार की गई थी, जबकि साक्षी का यह कथन है कि उसने देहाती नालसी चौकी में तैयार नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी के द्वारा तैयार देहाती नालसी प्रदर्श पी-1, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 में एक ही समय 8:30 बजे का उल्लेख किया गया है, जिससे की गई कार्यवाही में परस्पर विरोधाभासी तथ्य प्रकट होने से संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। साक्षी ने उक्त परस्पर विसंगति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है।

8— आरक्षक जयवन्तलाल (अ.सा.1), आरक्षक सेवकराम (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.7) की कार्यवाही का समर्थन विभागीय साक्षी के रूप में किया है। उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय जंगल सर्च के दौरान आरोपी को हाथ में झोला लेते हुए देखने तथा भागने पर पकड़े जाने पर उसके आधिपत्य से सींग व खोपड़ी जप्त किये जाने की पुष्टि की है। यद्यपि इन साक्षीगण को हमराह के रूप में जप्ती अधिकारी के द्वारा मौके पर लिये जाने के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा पेश नहीं किया गया है।

9— सहायक परिक्षेत्र अधिकारी तुलसीराम (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने पुलिस चौकी डोरा को जप्त सामग्री का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जप्तशुदा सींग वन्यप्राणी हिरण के थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्तशुदा सामग्री सीलबंद नहीं थी। साक्षी ने पुलिस के द्वारा उक्त सींग पेश किये जाने पर कथित सींग होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है। यद्यपि उक्त साक्षी को पुलिस के द्वारा परीक्षण किये जाने संबंधी कोई पत्र दिए जाने का उल्लेख नहीं है और न ही उसकी पावती

प्रकरण में पेश नहीं है। इस कारण उक्त साक्षी की प्रस्तुत रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि मामले में जप्तशुदा सामग्री का ही उसके द्वारा परीक्षण कर कथित रिपोर्ट दी गई थी।

10— अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी के रूप में मानिकराम (अ.सा.4) एवं विजय सिंह (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने मानिकराम (अ.सा.4) का यह कथन है कि पुलिसवालों ने आरोपी के यहां से मुर्गी खाकर गए थे और उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दरोगा से हस्ताक्षर करने से मना किया था, तो दरोगा ने उसे दो झापड़ लगाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे प्रदर्श पी-3 लगायत प्रदर्श पी-8 के दस्तावेजों पर पुलिस चौकी में हस्ताक्षर कराए थे तथा लिखा-पढ़ी के दौरान मौके पर सींग और खोपड़ी नहीं मिली थी। उक्त दोनों साक्षीगण ने उसके सामने आरोपी से कोई सामान जप्त किये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— प्रधान आरक्षक पीतमसिंह (अ.सा.6) ने दिनांक-08.07.03 को थाना रूपझर में पदस्थ होते हुए देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख किये जाने की पुष्टि की है। साक्षी ने देहाती नालसी उसके पास लाए जाने पर उसमें अपराध क्रमांक दर्ज नहीं होने की पुष्टि की है और यह भी स्वीकार किया है कि उसमें अपराध क्रमांक नहीं डलता है, जबकि देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उस पर अपराध क्रमांक लेख किया गया है।

12— प्रकरण में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भर है। जप्ती अधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.7) की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी तथ्य प्रकट होने से संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। साक्षी ने उक्त परस्पर विसंगति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। साक्षी ने कथित जंगल सर्चिंग के दौरान मौके पर रवानगी होने के पूर्व तथा वापसी के पश्चात् रोजनामचना सान्हा में इंद्राज किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं और न ही रोजनामचा सान्हा पेश कर उक्त तथ्य को प्रमाणित किया है। इसके अलावा साक्षी ने मौके पर ही देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 एवं जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया जाना प्रकट किया है, जबकि देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 में रोजनामचा सान्हा का उल्लेख होना विधिवत् कार्यवाही किये जाने को संदेहास्पद बनाता है।

13— जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में यह भी प्रकट नहीं किया है कि उसने आरोपी से कथित जप्ती किन साक्षीगण के सामने की है। जप्ती अधिकारी के रूप में उक्त जप्ती की कार्यवाही फंडकी तालाब के पास किये जाने

का जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 में उल्लेख किया गया है, जबकि स्वयं विभागीय साक्षी तिलकसिंह (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी फंडकी तालाब के पास झोला लिए हुए नहीं मिला था। जप्ती कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षीगण ने उक्त जप्ती की कार्यवाही से इंकार किया है तथा स्वतंत्र साक्षी के रूप में प्रस्तुत मानिकराम (अ.सा.4) का यह भी कथन है कि पुलिसवालों ने आरोपी के यहां से मुर्गा खाकर गए थे, लेकिन उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी। इस साक्षी का यह भी कथन है कि दरोगा ने उसे मारपीट कर पुलिस चौकी में जप्तीपंचनामा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे। विजय सिंह (अ.सा.5) का भी यही कथन है कि उसके सामने आरोपी मेलनसिंह से कोई जप्ती नहीं हुई थी तथा पुलिस चौकी डोरा में दरोगा ने दस्तावेजों पर उससे अंगूठा निशानी लगवाया था। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन से भी जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

14— अभियोजन को स्वयं अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबकि बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न करना होता है। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से जो संदेहास्पद एवं विसंगति पूर्ण तथ्य उत्पन्न हुये हैं, उन्हें अभियोजन ने अपनी साक्ष्य में दूर नहीं किया है। मौके पर जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षीगण का उपस्थित न होना, उक्त कार्यवाही में विसंगति पूर्ण एवं विरोधाभासी तथ्य प्रकट होता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार पुलिस अधिकारी की उक्त विसंगति एवं विरोधाभासी कार्यवाही के आधार पर विधिवत् जप्ती प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा कथित जप्तशुदा सींग का ही परीक्षण कराया जाना प्रमाणित नहीं होता है। मामले में कथित जप्तशुदा सींग का विधिवत् रूप से विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण न कराए जाने का कोई कारण प्रकट नहीं किया गया है। इसके अलावा कथित परीक्षणकर्ता वन अधिकारी तुलसीराम (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में विशेषज्ञ होने का कथन नहीं किया है और न ही यह प्रकट किया है कि उसके द्वारा की गई जांच व परीक्षण का आधार क्या था और किन आधारों पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परीक्षण हेतु प्राप्त सींग वन्य प्राणी हिरण के ही सींग थे। वास्तव में अभियोजन ने आरोपी से कथित जप्ती कार्यवाही को ही विधिवत् प्रमाणित नहीं किया है और न ही की गई कार्यवाही में उत्पन्न संदेहास्पद परिस्थिति को अभियोजन साक्ष्य में दूर किया है। इस प्रकार अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि आरोपी के आधिपत्य में कथित सींग अवैध रूप से रखे पाये गये।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य में वन्य प्राणी सांभर के सींग बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से रखे पाये गये। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-39/51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में आरोपी दिनांक—08.07.2003 से 15.07.2003 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, जिसके संबंध में पृथक् से धारा—428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति हिरण की सींग लगी एक खोपड़ी सहित दो सींग बाल लगे तथा एक सींग तीन फन का विधिवत निराकृत किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त बालाघाट, जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात् सौंपा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट